महोबा पुलिस

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार एवं मा0 सड़क परिवहन/राजमार्ग मंत्री, भारत सरकार के जनपद महोबा भ्रमण/कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ड्यूटी में नामित पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग की गयी, सम्बन्धित को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी तथा केन्द्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री श्री नितिन गड़करी जी का दिनांक 13.03.2023 को जनपद भ्रमण/प्रस्तावित कार्यक्रम होना है, कार्यक्रम के दौरान अचूक एवं त्रुटि रहित सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु आज दिनांक 12.03.2023 को कार्यक्रम स्थल में पुलिस उपमहानिरीक्षक चित्रकूटधाम परिक्षेत्र बांदा श्री विपिन कुमार मिश्र द्वारा पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता की उपस्थिति में कार्यक्रम को शान्तिपूर्ण व सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत सुरक्षा व्यवस्था में लगे पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ब्रीफिंग की गयी, ड्यूटी में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को ड्यूटी सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को अक्षुण्य बनाये रखने के लिये पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के नेतृत्व/निर्देशन पर सुरक्षा के व्यापक स्तर पर पुलिस व्यवस्थापन किया गया है, जिसमें 04अपर पुलिस अधीक्षक, 14क्षेत्राधिकारी, 57निरीक्षक, 192उपनिरीक्षक, 825मुख्यआरक्षी/आरक्षी, 157महिला आरक्षियों की ड्यूटियां विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों में लगायी गयी हैं साथ ही 2.5 कम्पनी पीएसी बल भी तैनात किया गया है, सुरक्षा को अचूक बनाये रखने के लिये सादे वस्त्रों (एल.आई.यू.) में पुलिस बल को तैनात किया गया है, इसके अतिरिक्त विभिन्न परिस्थितियों के लिये **Quick response team (QRT)** गठित की गयी है जो एलर्ट मोड में रहेंगी साथ ही पर्याप्त संख्या में पुलिस बल को रिजर्व के रुप में भी रखा गया है, कार्यक्रम के दौरान अग्नि सुरक्षा से बचाव हेतु उच्च क्षमता वाले फायर टेण्डर को एलर्ट मोड में रखा जायेगा, इसके अतिरिक्त जनपद में यातायात व्यवस्था हेतु आयोजन स्थल के आस-पास सुरक्षा के दृष्टिगत यातायात डायवर्जन किया गया है, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं त्रुटिरहित बनाये रखने हेतु 45 यातायात पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों की ड्यूटी महत्वपूर्ण प्वाइंटो में लगायी गयी है।

ब्रीफिंग के दौरान आई.जी. महोदय व पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता द्वारा अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके ड्यूटी प्वाइंट्स व उन प्वाइंट्स की संवेदनशीलता के विषय में आवश्यक जानकारियां प्रदान कर ब्रीफ किया गया, निर्देशित किया गया कि सभी सतर्क रहें, अवांछनीय गतिविधि वाला कोई भी व्यक्ति आपकी नजर से बचना नहीं चाहिये, विभिन्न परिक्षण के उपरान्त ही संतुष्ट होने पर प्रवेश की अनुमति दी जाये, सभी अधिकारी/कर्मचारी एक-दूसरे से समन्वय बना के रखें, जो भी कमियां पायी जाये उनसे उच्चाधिकारियों को तत्काल अवगत कराते हुये उन कमियों को दुरुस्त कराना सुनिश्चित करेंगे, सभी अधिकारी/कर्मचारी जनता से मधुर व्यवहार करेंगे कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की किसी भी स्तर पर पायी गयी लापरवाही क्षम्य नहीं होगी।

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 12.03.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना खरेला पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष खरेला श्री यज्ञनारायण भार्गव द्वारा टीम गठित कर उ0नि0 अजीत नारायण त्रिपाठी व उ0नि0 शिवकुमार यादव द्वारा एक नफर अभियुक्त 1. अनूप सिंह पुत्र धर्मपाल उर्फ गुल्लू सिंह उम्र करीब 26 वर्ष निवासी मु0 हले थाना खरेला जनपद महोबा के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूत 315 बोर नाजायज के साथ आईटीआई नहर पुलिया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 28/23 अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.उ0नि0 अजीत नारायण त्रिपाठी 2. उ0नि0 शिवकुमार यादव 3. का0 चन्दन सिंह

गिरफ्तार अभियुक्त-

अनूप सिंह पुत्र धर्मपाल उर्फ गुल्लू सिंह उम्र करीब 26 वर्ष निवासी मु0 हले 2 कस्बा व थाना खरेला जनपद महोबा

आपराधिक इतिहास अभियुक्त-

1.मु0अ0सं0 122/2019 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम
2.मु0अ0सं0 49/2020 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम
3.मु0अ0सं0 35/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट
4.मु0अ0सं0 50/2022 धारा 323/452/504 भादवि

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 12.03.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ अभियुक्त को किया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम हेतु जनपदीय पुलिस टीम द्वारा चलाये जा रहे अवैध शराब की बिक्री, निष्कर्षण, परिवहन की रोकथाम तथा उसमें लिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कबरई प्रभारी निरीक्षक श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 राशिद अली के द्वारा 01 नफर अभियुक्त मुकेश पुत्र वृजगोपाल उम्र 22 वर्ष को बाँदा तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक थैले मे 37 क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 48/2023 धारा 60 आबकारी अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 श्री राशिद अली
2. कां0अंकित कुमार पटेल 3.का0अश्वनी कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त–

मुकेश पुत्र वृजगोपाल उम्र 22 वर्ष निवासी वीला दक्षिण थाना कबरई महोबा

थाना कुलपहाड़ पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 12.03.2023 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर.के. गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ सुश्री हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के क्रम मे थाना कुलपहाड़ प्रभारी निरीक्षक श्री बिनोद कुमार द्वारा गठित टीम के निरीक्षक श्री लाखन सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 100/2023 धारा 306/ 504/ 506 भादवि व 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित 01 नफर अभियुक्त इरफान पुत्र मुमताज उम्र 19 वर्ष को डाक बंगला कस्बा पनवाडी से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

इरफान पुत्र मुमताज उम्र 19 वर्ष नि0 मु0 डाक बंगला कस्बा व थाना पनवाडी जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.निरीक्षक श्री लाखन सिंह
2.का0 अभिषेक कुमार
3.का0 मनोज कुमार

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 12.03.2023

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

वीवीआईपी के जनपद आगमन एवं प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद में कानून एंव शांति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु किया गया पैदल गस्त ।

आज दिनांक **12.03.2023** को श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में एंव अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस बल द्वारा मा0 मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन एवं मा0 केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार के जनपद आगमन एवं प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी व अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखनें,अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी।

इसी क्रम में जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थाना प्रभारी द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, ढाबा व संवेदनशील स्थानों आदि जगहों पर प्रभावी पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की गयी तथा यातायात नियमों का पालन करने न करने वाले वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए व यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर वाहनों के ई-चालान किये गये।

महोबा पुलिस